रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2741] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 27, 2017/आश्विन 5, 1939
No. 2741] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 27, 2017/ASVINA 5, 1939

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 2017

का.आ. 3133(अ).—प्रारूप अधिसूचना भारत के राजपत्र असाधारण में सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1972 (अ), तारीख 2 जून, 2016 द्वारा प्रकाशित की गई थी जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त प्रारूप अधिसूचना के प्रत्युत्तर में किन्हीं व्यक्तियों और पणधारियों से कोई आक्षेप और सुक्षाव प्राप्त नहीं हुए थे;

और, नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश के सागर, दमोह और नरसिंहपुर जिलों में स्थित है तथा केन्द्रीय भारतीय वन भू क्षेत्र के जैविक और वानस्पतिक गुणों से युक्त 1197.04 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तक फैला हुआ है ;

और, अभयारण्य में दो नदियां अर्थात बामनेर और बियरमा अपवाहित होती हैं। अभयारण्य में दो मुख्य नदी तंत्र गंगा और नर्मदा स्वयं जल विभाजक करती हैं। बामनेर और बियरमा उत्तर में बहती है और केन-बेतवा नदी से मिलती है और नदिका डोंगर गांव श्रेणी के दक्षिणी भाग जाती है, दक्षिण में बहती हुई नर्मदा से मिलती हैं ;

और, अभयारण्य के अधिकतर भाग नरसिंहपुर ज़िला में दक्षिणी भाग के अंतर्गत अधिक और कम समतल क्षेत्र है, अभयारण्य में अधिकतर भू भाग पर्वतीय और विरल वृक्षों के साथ घासभूमि के सवाना प्रकार और झाड़-झंखाड़ के सघन अधिक नहीं हैं ;

और, अभयारण्य में प्रचुर जैव-विविधता है और रॉगर और पवर वर्गीकरण के अनुसार श्रेणी "सी6 दक्कन प्रायद्वीप उच्चभूमि जोन" में वर्गीकृत है और पुष्प-विषयक विविधता जिसमें वृक्ष प्रजातियों *(टिक, साजा, अर्जुन, भिरई, बेल, ऑनला* आदि), जड़ी-बूटी *(अलट्रनेनद्रा एसपी, अंड्रोग्रेपिस एसपी, एक्रांथस एसपी, अमरांथस एसपी* आदि) और झाड़ी प्रजातियां *(लानटाना एसपी, क्लोटॉरपिस एसपी)*, आरोहक *(क्रिपटोलेपिस बुछाननी, बूटी सुपरबा, कोम्ब्रेटम डेक्कड्म,* आदि) और घासें *(एनड्रोपोगन एसपी, क्रिसोपोगन एसपी, हेट्रोपोगन एसपी, कनाइनडन एसपी, सनकरस एसपी,* आदि) और बांस प्रजातियां *(डेंड्रोक्लेमस स्ट्रिक्टस और बैमबूसा अरुनदिनसिया)* सम्मिलित हैं;

और, जीव-जन्तु जैव विविधता मांसाहारी में पैंथर, रीछ, जंगली कुत्ता, लकड़बग्घा, भारतीय भेड़िया, भारतीय लोमड़ी, सियार और सांभर, नीलगाय, चिंकारा, चीतल, काला हिरण (परिसर में) और बनैला सूअर शाकाहारी में, पक्षियों (उत्तरी सीखपर, सुरमल, लगलग, जांघिल, ब्लैक इबीस आदि), मछली *(चना एसपी, बारबियो एसपी, डालियो एसपी, लाबियो एसपी* आदि), सरीसृप (मगरमच्छ, नदी रामानंदी कछुआ, ब्लड गुआना आदि) और नौरादेही अभयारण्य में उभयचर की विभिन्न प्रजातियां अभिलिखित है;

और, अभयारण्य के चारों ओर 71 ग्रामों और वनों के अधीन पश्चिमी और उत्तर में दक्षिण सागर प्रभाग, पूर्व और उत्तर में दामोह प्रभाग और दक्षिण में नरसिंहपुर प्रभाग आता हैं और अभयारण्य के पूर्व में बिक्रमपुर व्यवधान के ऊपर लगभग 23 किलोमीटर के साथ दक्षिण में राष्ट्रीय राजमार्ग-12 की ओर जाता है और बाजार केन्द्र जैसे रहेली, दियोरी और घराकोटा (सागर ज़िला), दामोह, तेंडुखेड़ा और तारादेई (दामोह ज़िला) और बरमन, नरसिंहपुर (नरसिंहपुर ज़िला) के चारों ओर है ;

और, नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण और पारिस्थितिकी की दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों और उद्योगों के वर्गो और उनके प्रचालन तथा प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है ;

अतः, इसलिए, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश राज्य में नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 250 मीटर तक के विस्तारित क्षेत्र को नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :--

1. **पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं**--(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार लगभग 291.10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को मिलाकर नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 1 किलोमीटर तक का क्षेत्र है और इसका सीमा विवरण **उपाबंध I** पर दिया गया है |

(2) पारिस्थितिकी संवेदी जोन मध्य प्रदेश के सागर, दामोह और नरसिंहपुर जिलों में 71 ग्रामों तक फैला हुआ है ।

(3) प्रमुख बिन्दुओं के भू-निर्देशांकों के साथ-साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध II** पर उपाबद्ध है ।

(4) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र इसके अक्षांश और देशान्तर के साथ सीमा विवरण क्रमशः **उपाबंध IIIक और IIIख** पर उपाबद्ध है ।

(5) नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य की सीमा और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन के साथ बिन्दुओं के जीपीएस निर्देशांकों का विवरण **उपाबंध IIIग** पर उपाबद्ध है

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना – (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना ऐसी रीति जो इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट है तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरुप और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी ।

(3) आंचलिक महायोजना, पर्यावरणीय और पारिस्थितिकी में समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के सभी संबद्ध विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:--

(i) पर्यावरण;

(ii) वन और वन्यजीव;

(iii) कृषि और बागवानी ;

(iv) राजस्व;

(v) शहरी विकास;

(vi) पर्यटन सहित पारिस्थितिकी पर्यटन ;

(vii) ग्रामीण विकास;

(viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;

(ix) नगरपालिक और शहरी विकास ;

(x) पंचायती राज;

(xi) लोक निर्माण विभाग।

(4) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो और आचंलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में और अधिक दक्षता और पारिस्थितिकी अनुकूलता का संवर्धन करेगी ।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है, के लिए उपबंध होंगे ।

(6) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोउद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी और इस योजना के साथ मानचित्र लगे होंगे जिनमें विद्यमान और प्रस्तावित भूमि के उपयोग की विशेषताओं के ब्यौरे होंगे ।

(7) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी और सारणी में सूचीबद्ध प्रतिषिद्ध, विनियमित क्रियाकलापों का पालन करेगी तथा स्थानीय समुदायों की आजीविका सुरक्षा के लिए, पारिस्थितिकी अनुकूल विकास सुनिश्चित करेगी तथा संवर्धित करेगी।

(8) आंचलिक महायोजना क्षेत्रीय विकास योजना की सह सीमा होगी ।

(9) इस प्रकार अनुमोदित आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार निगरानी के अपने कृत्यों को करने के लिए निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगी ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय--** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:--

(1) **भू-उपयोग–(क)** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजनों के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा।:

परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन निगरानी समिति की सिफारिश पर और यथा लागू और संबंधित राज्य विधि तथा केन्द्रीय/राज्य सरकार के अन्य नियमों तथा विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, तथा इस अधिसूचना के उपबंधों द्वारा स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, जैसे:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना और नई सड़कों का संनिर्माण;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग भी हैं; सुविधाजनक भण्डारों और स्थानीय सुविधाएं जो पारिस्थितिकी पर्यटन का समर्थन करती है ग्रह वास सहित; और

(v) संवर्धित क्रियाकलाप जो पैरा 4 के अधीन दिए गए हैं:

परंतु यह और भी कि क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम और अन्य नियमों और विनियमों के अधीन राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन तथा संविधान के अनुच्छेद 244 और तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में प्रकट होने वाली कोई त्रुटि, निगरानी समिति के विचार अभिप्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को देनी होगी ।

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि के संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा ।

(ख) वनरोपण और वास जीर्णोद्धार क्रियाकलापों वाले अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत** -- आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों, नदियों, जलसरणी की पहचान की जाएगी और उसमें उनके संरक्षण और पुनरुद्भूतकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी ।

(3) **पर्यटन/पारिस्थितिकी पर्यटन** –(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए पर्यटन महायोजना के अनुसार होंगे ।

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग, द्वारा राज्य सरकार के पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से तैयार होगी ।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना के एक घटक के रूप में होगी ।

(घ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) वन्यजीव अभयराण्य की सीमा से 1 किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, जो भी निकट हो, किसी होटल या रिसोर्ट का नया संन्निर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा । तथापि, वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक नए होटलों और रिसोर्टों की स्थापना पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए पूर्व सीमांकित और पदाभिहित क्षेत्रों में ही अनुज्ञात की जाएगी।

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्दर सभी नए पर्यटन क्रिया-कलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों तथा पारिस्थितिकी पर्यटन पर बल देते हुए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन मार्गदर्शी सिद्धांतों (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार होगा ।

(iii) जब तक आंचलिक महायोजना का अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है जब तक पर्यटन संबंधी विकास तथा विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार निगरानी समिति के वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा सिफारिश के आधार पर सम्बंधित विनियामक प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के भीतर कोई नया होटल/रिसार्ट या वाणिज्यिक स्थापन का संन्निर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाता है ।

(4) **नैसर्गिक विरासत** -- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गो, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और विरासत संरक्षण योजना उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए तैयार की जाएगी जो ऐसी आंचलिक महायोजना का भाग होगी ।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल** - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक, सौंदर्यपरक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों और परिवेश की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण के लिए विरासत संरक्षण योजना आंचलिक महायोजना के रूप में तैयार की जाएगी ।

(6) **ध्वनि प्रदूषण** -- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण के लिए ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम 2000 के अनुसार किया जाएगा। पर्यावरणीय (संरक्षण) अधिनियम, 1986, के अधीन नियम संकलित किया जाएगा ।

(7) **वायु प्रदूषण** -- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार संकलित किया जाएगा।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण** -- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण साधारणों मानक पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और दिए गए नियम और राज्य सरकार द्वारा अनुबद्ध किया जाएगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट -** ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा -

(क)पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समयसमय पर यथा संशोधित- अधिसूचना सं. का.आ. 1357(आ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 नगरपालिक ठोस अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा; और

अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकार्य रीति में होगा;

(ख)पहचानी गई प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ठ का प्रबंधन सुरक्षित पर्यावरणीय ठोस प्रबंधन से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर अनुज्ञात किया जाएगा।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट.-** जैव चिकित्सीय परिशिष्ट निम्नानुसार होगा **:-**

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सा. का. नि. 343 (अ) तारीख 28 मार्च 2016 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(ख) पहचानी गई तकनिकियों का उपयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ठ का प्रबंधन सुरक्षित पर्यावरणीय ठोस प्रबंधन से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर अनुज्ञात किया जाएगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन: -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध नियम 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन: -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंध भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) **ई–अपशिष्ट:-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट प्रबंध भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित ई–अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **यानीय परिवहन: -** परिवहन की यानीय संचलन आवास के अनुकूल रीति में विनियमित होगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विनिर्दिष्ट उपबंध समाविष्ट किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होने तक, निगरानी समिति सुसंगत अधिनियमों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय संचलन के अनुपालन को निगरानी करेगी ।

(15) **यानीय प्रदूषण:-** यान प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण लागू विधियों के अनुसार की जाएगी और स्वच्छक ईंधन उदाहरण के लिए सीएनजी, एलपीजी, आदि के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे ।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां: -** (i) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर या उसके पश्चात पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर कोई नए प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

(ii) फरवरी, 2016 में पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार गैर प्रदूषणकारी उद्योगों को ही अनुमति दी जाएगी, जब तक कि इस अधिसूचना में अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो।

(17) **पहाड़ी ढलानों को संरक्षण: -** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार होगा:

(क) आंचलिक महायोजना पहाड़ी ढलानों पर क्षेत्रों को उपदर्शित करेगा जहां किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी ।

(ख) कटाव के एक उच्च डिग्री वाले विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों पर किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी ।

(18) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार, यदि यह आवश्यक समझती है, इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने में अन्य उपाय विनिर्दिष्ट करेगी।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और तटीय विनियमन जोन 2011 और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 के 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 के 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 के 53) के उपबंधों तथा उनमें किए गए संशोधनों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :--

सारणी

क्रम सं.	**क्रियाकलाप**	**टीका-टिप्पणियां**
	क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन ।	(क) सभी प्रकार के खनन (लघु और बृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की देशी आवश्यकताओं के सिवाय नहीं होंगी जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संन्निर्माण या मरम्मत के लिए भूमि को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइलों का निर्माण भी सम्मिलित है; (ख) माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गोविंदरामन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण का प्रचालन होगा ।
2.	प्रदूषण (जल वायु मृदा ध्वनि आदि) कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में नए उद्योग और उद्योगों में विद्यमान प्रदूषण का विस्तार अनुज्ञा नहीं होगी। फरवरी, 2016 में जब तक कि इस प्रकार अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर केवल गैर- प्रदूषण कुटीर उद्योगों की अनुज्ञा दी जाएगी। इसके अतिरिक्त गैर प्रदूषण कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।
3.	बृहत जल विद्युत परियोजना की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन या प्रसंस्करण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्त्रावों का निस्सारण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
7.	ईंट भट्टों की स्थापना करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
8.	पोलिथीन बैगों का उपयोग A	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
9.	जलावन लकड़ियों का वाणिज्यिक उपयोग ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
10.	नई काष्ठ आधारित उद्योग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
11.	मछली पकड़ना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।

ख. विनियमित क्रियाकलाप		
12.	होटलों और रिसोर्टों की वाणिज्यिक स्थापना।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों संबंधी लघु अस्थायी संरचनाओं के लिए संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नए वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात होंगे, अन्यथा नहीं ; परंतु, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, जो भी निकट हो, किसी भी नए वाणिज्यिक होटल एवं रिसोर्टों को ही अनुज्ञात किया जाएगा अन्यथा नहीं।
13.	फर्मों, कॉर्पोरेट, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
14.	संनिर्माण क्रियाकलाप।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार का वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु स्थानीय लोगों को पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित उनके उपयोग के लिए उनकी भूमि में स्थानीय निवासियों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने लिए संनिर्माण करने की अनुमति भवन उपविधियों के अनुसार दी जाएगी। (i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण; (ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुख-सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण; (iii) फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किए गए वर्गीकरण के अनुसार परिभाषित गैर- प्रदूषणकारी लघु उद्योग; (iv) कुटीर उद्योगों जिनके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग हैं; सुविधा भण्डार और स्थानीय सुख सुविधाओं जो पारिस्थितिकी पर्यटन में जिस में गृह वास भी है सहायक हो; और (v) इस अधिसूचना में सूचीबद्ध संवर्धित क्रियाकलापों की सूची : (ख) परन्तु ऐसे लघु उद्योगों जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ही न्यूनतम पर रखे जाएंगे। (ग) एक किलोमीटर से परे आंचलिक महायोजना की अनुसार विनियमित होंगे।
15.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों में वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकट में, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
16.	वाणिज्यिक बकरी और भेड़ पालन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
17.	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किंही वृक्षों की कटाई नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगी।
18.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण (एनटीएफपी)।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
19.	विद्युत और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण और केबल बिछाना और अन्य बुनियादी ढांचे।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे। भूमिगत केबल बिछाए जाने को बढ़ावा दिया जाएगा।

20.	नागरिक सुख सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचे।	लागू विधियों नियमों और विनियमों मार्गी सिद्धांतों के अनुसार न्यूनीकरण की उपायों के साथ, और उपलब्ध किए जाएंगे।
21.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना और नई सड़कों का संनिर्माण।	लागू विधियों नियमों और विनियमों मार्गी सिद्धांतों के अनुसार न्यूनीकरण की उपायों के साथ, और उपलब्ध किए जाएंगे।
22.	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारें, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइटस और अन्य पर्यटन क्रियाकलाप आदि द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
23.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
24.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे।
25.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ डेयरियों, डेयरी खेती।	स्थानीय लोगों के उपयोग के लिए लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
26.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण **A**	उपचारित अपशिष्ट जल/बहिस्राव का निस्सारण जल निकायों में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा और उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुन:उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे और उपचारित अपशिष्ट जल/बहिस्रावों का निस्सारण लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
27.	सतह और भूजल के वाणिज्यिक निष्कर्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
28.	कृषि या अन्य उपयोग के लिए खुले कुआ, बोर कुआ, आदि।	विनियमित और सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा क्रियाकलाप की निगरानी की जाएगी।
29.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन/ जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
30.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
31.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
32.	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
	ग. संवर्धित क्रियाकलाप	
33.	वर्षा जल संचयन।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
34.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
35.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
36.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर भी हैं।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
37.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का उपयोग।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को बढ़ावा दिया जाना है।
38.	कृषि वानिकी।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
39.	पारिस्थितिकी अनुकूल परिवहन का उपयोग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
40.	कौशल विकास।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
41.	निम्नीकृत भूमि या वन या वास की बहाली।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
42.	पर्यावरणीय जागरुकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
43.	प्रकृति संरक्षण	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

5. निगरानी समिति- केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पारिस्थितिकी संवेदी जोन की निगरानी प्रभावी के लिए निगरानी समिति गठित करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:--

(1)	आयुक्त, सागर-	अध्यक्ष;
(2)	मुख्य वन संरक्षक, सागर सर्किल-	सदस्य;
(3)	कलक्टर, सागर, दामोह और नरसिंहपुर-	सदस्य;
(4)	प्रभागीय वन अधिकारी /वन क्षेत्र के संरक्षक, विभाग दक्षिण सागर, दामोह और नरसिंहपुर-	सदस्य;
(5)	मुख्य कार्यपालक अधिकारी जिला पंचायत सागर, दामोह और नरसिंहपुर-	सदस्य;
(6)	कार्यपालक इंजीनियर लोक निर्माण विभाग सागर, दामोह और नरसिंहपुर-	सदस्य;
(7)	पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों का प्रत्येक मामले में तीन वर्ष की अवधि के लिए राज्य सरकार द्वारा एक प्रतिनिधि-	सदस्य;
(8)	मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रत्येक मामले में तीन वर्ष की अवधि के लिए पारिस्थितिकी और पर्यावरण क्षेत्र का एक विशेषज्ञ-	सदस्य;
(9)	कार्यपालक इंजीनीयर लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी सागर, दामोह और नरसिंहपुर -	सदस्य;
(10)	खनन अधिकारी-सागर, दामोह और नरसिंहपुर -	सदस्य;
(11)	कार्यपालक इंजीनीयर सिंचाई, सागर, दामोह और नरसिंहपुर -	सदस्य;
(12)	राज्य सरकार द्वारा नामर्दिष्ट करने के लिए जैव-विविधता के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ	सदस्य;
(13)	प्रभागीय वन अधिकारी, नौरादेही वन्यजीव प्रभाग, सागर-	सदस्य-सचिव।

6. निर्देश-निबंधनः-

(1) निगरानी समिति का कार्यकाल 3 वर्ष एवं राज्य सरकार द्वारा नई समिति गठन के लिए होगा।

(2) निगरानी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को निगरानी करेगी।

(3) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है। पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(5) निगरानी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध कलक्टर संबद्ध पार्क उपवन संरक्षक का ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(6) निगरानी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।

(7) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को **उपाबंध IV** में उपबंधित रूप विधान के अनुसार उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे ।

8. इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित किसी आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन रहते हुए होंगे ।

[फा. सं. 25/72/2015-ईएसजेड]

ललित कपूर, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध – I

पारिस्थितिकी संवेदी जोन और नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य का सीमा विवरण

नौरादेही (वन्यजीव) अभयारण्य के भौगोलिक निर्देशांक

दिशा	निर्देशांक	
	देशांतर	**अक्षांश**
उत्तर (ए)	79⁰16'25.793"पू	23⁰42'23.821"उ
पूर्व (बी)	79⁰24'43.153"पू	23⁰34'28.537"उ
दक्षिण (सी)	79⁰06'47.153"पू	23⁰05'18.398"उ
पश्चिम (डी)	79⁰03'8.957"पू	23⁰12'11.643"उ

नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के भौगोलिक निर्देशांक

दिशा	निर्देशांक	
	देशांतर	**अक्षांश**
उत्तर (ए1)	79°16'26.497"पू	23°42'56.295"उ
पूर्व (बी1)	79°25'17.149"पू	23°34'29.680"उ
दक्षिण (सी1)	79°06'47.200"पू	23° 4'45.952"उ
पश्चिम (डी1)	79° 2'34.103"पू	23°12'11.553"उ

नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भूमि उपयोग

पारिस्थितिकी संवेदी जोन की चौंड़ाई	औसत 1.00 किलोमीटर
पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्र	291.10 वर्ग किलोमीटर
पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सम्मिलित आरक्षित वन का क्षेत्र	48.97 वर्ग किलोमीटर
पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सम्मिलित संरक्षित वन का क्षेत्र	47.05 वर्ग किलोमीटर
पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सम्मिलित राजस्व वन का क्षेत्र	195.08 वर्ग किलोमीटर

उपाबंध-II

नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची के साथ भौगोलिक निर्देशांक

क्र. सं.	प्रभाग के नाम	ग्राम के नाम	ज़िला	देशांतर	अक्षांश
1	नौरादेही	खजिरिया	सागर	79°21'12.66"पू	23°40'44.46"उ
2	नौरादेही	बेरखारी	सागर	79°16'34.41"पू	23°42'44.71"उ
3	नौरादेही	महुआसेमरा	सागर	79°14'54.72"पू	23°41'7.80"उ
4	नौरादेही	तालसेमरा	सागर	79°14'27.65"पू	23°40'35.14"उ
5	नौरादेही	लातेल	सागर	79°13'52.77"पू	23°39'58.78"उ
6	नौरादेही	बालेह	सागर	79°13'4.77"पू	23°38'38.22"उ
7	नौरादेही	सलरा	सागर	79°13'18.67"पू	23°37'56.85"उ
8	नौरादेही	गुदाखुर्द	सागर	79°11'47.58"पू	23°37'19.93"उ
9	नौरादेही	गुदाकलान	सागर	79°11'17.51"पू	23°37'53.04"उ
10	नौरादेही	गोपालपुरा	सागर	79°10'37.07"पू	23°37'21.43"उ
11	नौरादेही	बगासपुरा	सागर	79° 9'44.13"पू	23°36'25.08"उ
12	नौरादेही	छिरारी	सागर	79° 8'46.41"पू	23°35'2.41"उ
13	नौरादेही	हिनोती	सागर	79°10'55.36"पू	23°33'36.93"उ
14	नौरादेही	हरदुआ	सागर	79°10'16.39"पू	23°33'16.44"उ
15	नौरादेही	बेनहारी	सागर	79° 9'13.08"पू	23°33'36.32"उ
16	नौरादेही	चनगुवान	सागर	79° 9'44.65"पू	23°33'5.27"उ
17	नौरादेही	सिमरिया	सागर	79° 9'11.33"पू	23°32'19.31"उ
18	नौरादेही	सरखेड़ा	सागर	79° 7'54.86"पू	23°31'24.29"उ
19	नौरादेही	दुहरिया मोहली	सागर	79° 7'47.56"पू	23°30'34.27"उ
20	नौरादेही	मोकला	सागर	79° 5'30.41"पू	23°28'59.12"उ
21	नौरादेही	कुसमी	सागर	79° 5'49.74"पू	23°27'0.51"उ
22	नौरादेही	सुना	सागर	79° 7'8.47"पू	23°27'54.25"उ
23	नौरादेही	नेगुवान	सागर	79° 8'19.91"पू	23°29'43.91"उ
24	नौरादेही	कथोटिया	सागर	79° 8'9.81"पू	23°27'52.69"उ
25	नौरादेही	हरदुली	सागर	79° 6'6.34"पू	23°16'53.67"उ
26	नौरादेही	जमुनिया	सागर	79° 4'33.41"पू	23°15'17.49"उ
27	नौरादेही	मझगुवान	सागर	79° 4'9.13"पू	23°14'41.07"उ
28	नौरादेही	खानपुर	सागर	79° 3'23.88"पू	23°13'44.17"उ
29	नौरादेही	सररा	सागर	79° 6'30.90"पू	23°18'38.95"उ
30	नौरादेही	बीना	सागर	79° 5'26.67"पू	23°21'52.22"उ
31	नौरादेही	ईश्वरपुर	सागर	79° 6'28.66"पू	23°21'8.77"उ
32	नौरादेही	पुरेना	सागर	79° 5'48.19"पू	23°19'25.84"उ
33	नौरादेही	सररा दलपत	सागर	79° 5'33.41"पू	23°18'44.08"उ
34	नौरादेही	कुरहया	सागर	79° 6'8.96"पू	23°18'10.62"उ

35	नौरादेही	चिरई	दामोह	79°22'33.10"पू	23°38'42.65"उ
36	नौरादेही	मंकागांव	दामोह	79°21'56.57"पू	23°37'4.65"उ
37	नौरादेही	हिनोती	दामोह	79°19'30.81"पू	23°35'22.10"उ
38	नौरादेही	मुरई	दामोह	79°20'15.44"पू	23°34'28.28"उ
39	नौरादेही	अमतिकलान	दामोह	79°20'6.53"पू	23°33'47.30"उ
40	नौरादेही	खागर	दामोह	79°21'34.87"पू	23°36'35.58"उ
41	नौरादेही	मौजाकलान	दामोह	79°21'6.19"पू	23°35'44.13"उ
42	नौरादेही	सुहेला	दामोह	79°22'54.05"पू	23°34'41.98"उ
43	नौरादेही	जमुनिया	दामोह	79°24'29.74"पू	23°35'6.12"उ
44	नौरादेही	सोमखेड़ा	दामोह	79°24'15.68"पू	23°34'4.79"उ
45	नौरादेही	दुहली	दामोह	79°22'0.99"पू	23°31'19.30"उ
46	नौरादेही	गौरी	दामोह	79°21'59.72"पू	23°31'28.68"उ
47	नौरादेही	सुरादेही	दामोह	79°22'9.97"पू	23°30'50.62"उ
48	नौरादेही	मगाबिहेर	दामोह	79°22'5.71"पू	23°30'34.03"उ
49	नौरादेही	नयाखेड़ा	दामोह	79°22'12.41"पू	23°30'22.03"उ
50	नौरादेही	झापान	दामोह	79°22'17.34"पू	23°30'9.41"उ
51	नौरादेही	सिहरी	दामोह	79°21'47.23"पू	23°27'20.99"उ
52	नौरादेही	धाना	दामोह	79°19'43.62"पू	23°25'36.86"उ
53	नौरादेही	चीमा धाना	दामोह	79°20'24.18"पू	23°25'36.94"उ
54	नौरादेही	चिखली	दामोह	79°19'51.78"पू	23°19'44.88"उ
55	नौरादेही	बन्सी	दामोह	79°20'21.43"पू	23°19'37.27"उ
56	नौरादेही	पिदराई	दामोह	79°19'56.58"पू	23°18'57.17"उ
57	नौरादेही	कोपादेओरी	दामोह	79°20'33.73"पू	23°17'46.88"उ
58	नौरादेही	तारादेही	दामोह	79°20'57.92"पू	23°17'18.42"उ
59	नौरादेही	झमरा	दामोह	79°19'20.02"पू	23°15'13.12"उ
60	नौरादेही	पिपला	दामोह	79°18'48.89"पू	23°16'50.68"उ
61	नौरादेही	खनतारा	दामोह	79°18'38.85"पू	23°17'41.53"उ
62	नौरादेही	सरसबागली	दामोह	79°19'23.52"पू	23°16'1.93"उ
63	नौरादेही	छोरखमारिया	दामोह	79°19'39.43"पू	23°16'29.97"उ
64	नौरादेही	सररातुदा	दामोह	79°19'10.88"पू	23°16'0.39"उ
65	नौरादेही	कोटखेड़ा	दामोह	79°19'14.07"पू	23°15'13.19"उ
66	नौरादेही	कोसमदा	दामोह	79°18'57.07"पू	23°14'26.60"उ
67	नौरादेही	रामखिरिया	नरसिंहपुर	79° 9'49.02"पू	23° 5'47.79"उ
68	नौरादेही	बंदरोहा	नरसिंहपुर	79°20'9.62"पू	23° 6'35.24"उ
69	नौरादेही	खापा	नरसिंहपुर	79°20'34.70"पू	23° 7'26.86"उ
70	नौरादेही	मातापुर	नरसिंहपुर	79°21'13.15"पू	23° 7'9.98"उ
71	नौरादेही	विक्रमपुर	नरसिंहपुर	79°21'41.17"पू	23° 8'58.67"उ

उपाबंध IIIक

नौरादेही अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र

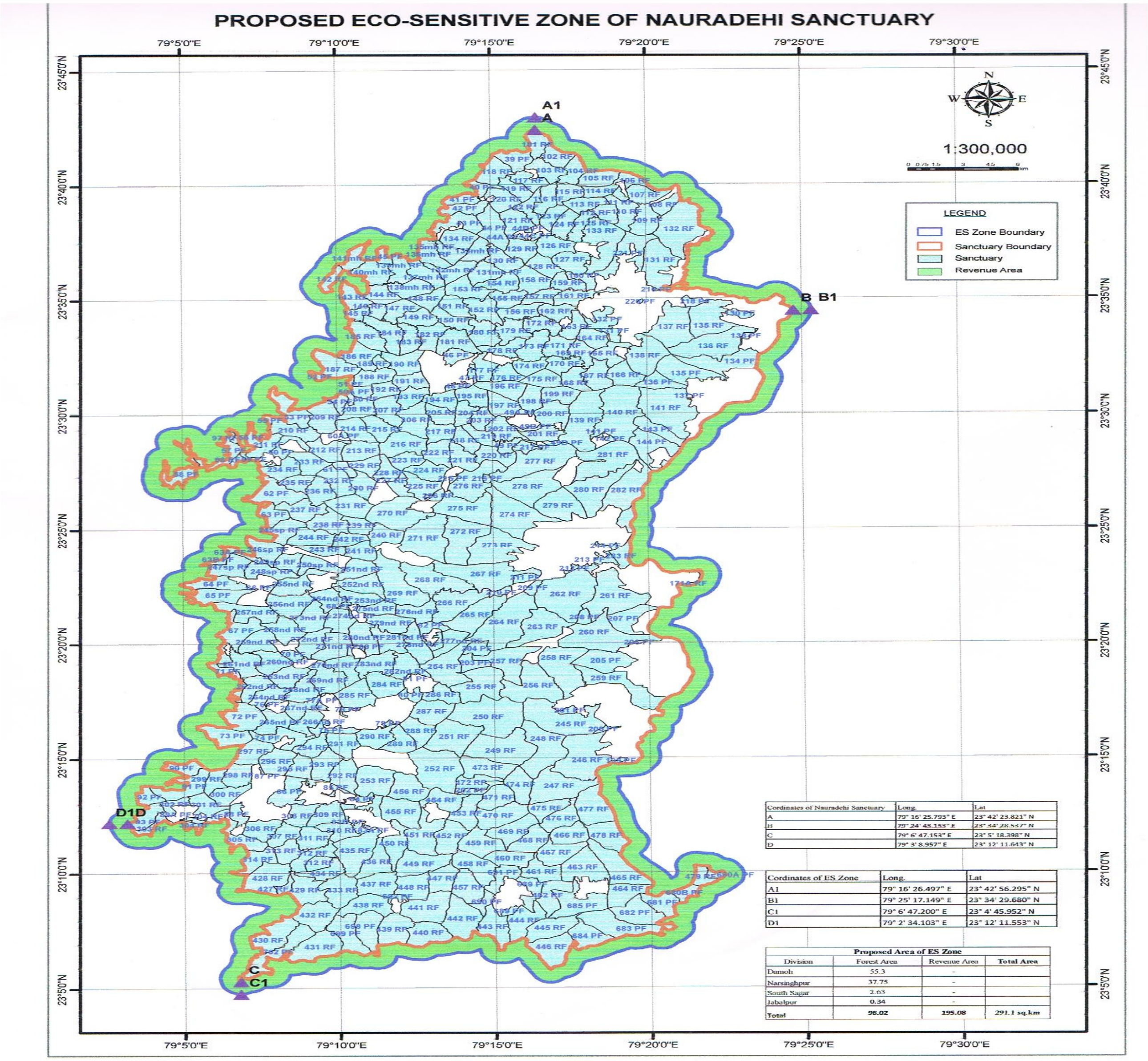

Cordinates of Nauradehi Sanctuary	Long.	Lat
A	79° 16' 25.793" E	23° 42' 23.821" N
B	79° 24' 43.153" E	23° 34' 28.537" N
C	79° 6' 47.153" E	23° 5' 18.398" N
D	79° 3' 8.957" E	23° 12' 11.643" N

Cordinates of ES Zone	Long.	Lat
A1	79° 16' 26.497" E	23° 42' 56.295" N
B1	79° 25' 17.149" E	23° 34' 29.680" N
C1	79° 6' 47.200" E	23° 4' 45.952" N
D1	79° 2' 34.103" E	23° 12' 11.553" N

Proposed Area of ES Zone			
Division	Forest Area	Revenue Area	Total Area
Damoh	55.3	-	
Narsinghpur	37.75	-	
South Sagar	2.63	-	
Jabalpur	0.34	-	
Total	96.02	195.08	291.1 sq.km

उपाबंध IIIख

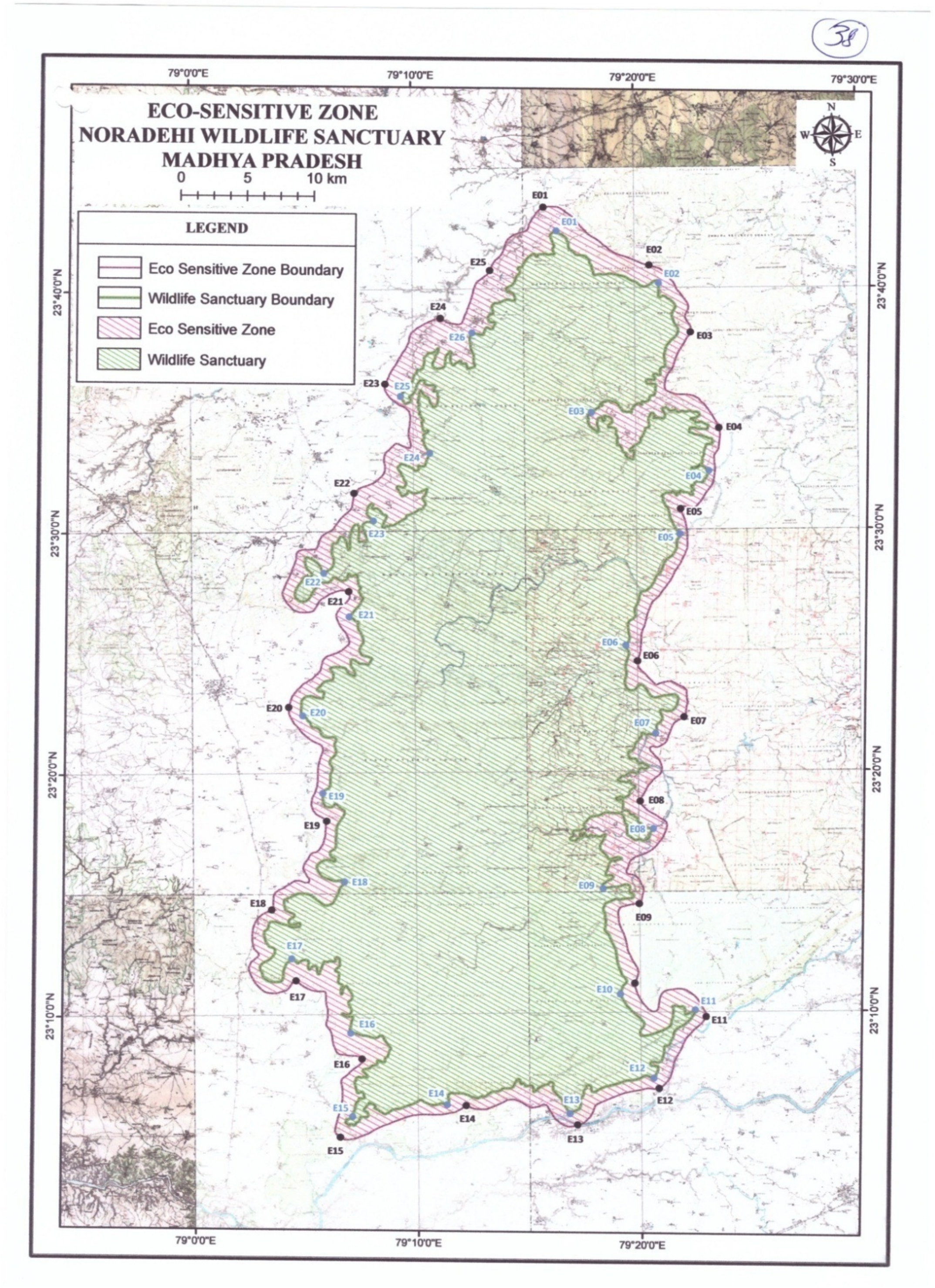
ECO-SENSITIVE ZONE
NORADEHI WILDLIFE SANCTUARY
MADHYA PRADESH
0 5 10 km
LEGEND
Eco Sensitive Zone Boundary
Wildlife Sanctuary Boundary
Eco Sensitive Zone
Wildlife Sanctuary
79°0'0"E
79°10'0"E
79°20'0"E
79°30'0"E
23°40'0"N
23°30'0"N
23°20'0"N
23°10'0"N
N
S
E
W

उपाबंध IIIग

नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य और पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा के साथ-साथ बिन्दुओं के जीपीएस निर्देशांक

नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के बिन्दुओं के जी. पी. एस. निर्देशांक

क्र. सं.	**जीपीएस**	**देशान्तर**	**अक्षांश**
1	ई01	79° 16.500' पू	23° 42.388' उ
2	ई 02	79° 21.088' पू	23° 40.204' उ
3	ई 03	79° 18.013' पू	23° 34.866' उ
4	ई 04	79° 23.292' पू	23° 32.406' उ
5	ई 05	79° 21.949' पू	23° 29.802' उ
6	ई 06	79° 19.467' पू	23° 25.207' उ
7	ई 07	79° 20.789' पू	23° 21.553' उ
8	ई 08	79° 20.643' पू	23° 17.606' उ
9	ई 09	79° 18.365' पू	23° 15.137' उ
10	ई 10	79° 19.090' पू	23° 10.759' उ
11	ई 11	79° 22.446' पू	23° 10.076' उ
12	ई 12	79° 20.571' पू	23° 7.251' उ
13	ई 13	79° 16.797' पू	23° 5.822' उ
14	ई 14	79° 11.305' पू	23° 6.231' उ
15	ई 15	79° 7.061' पू	23° 5.773' उ
16	ई 16	79° 6.999' पू	23° 9.226' उ
17	ई 17	79° 4.375' पू	23° 12.324' उ
18	ई 18	79° 6.767' पू	23° 15.489' उ
19	ई 19	79° 5.825' पू	23° 19.172' उ
20	ई 20	79° 4.940' पू	23° 22.377' उ
21	ई 21	79° 7.064' पू	23° 26.747' उ
22	ई 22	79° 5.945' पू	23° 28.291' उ
23	ई 23	79° 8.172' पू	23° 30.433' उ
24	ई 24	79° 10.730' पू	23° 33.224' उ
25	ई 25	79° 9.451' पू	23° 35.585' उ
26	ई 26	79° 12.681' पू	23° 38.197' उ

नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा के बिन्दुओं के जी. पी. एस. निर्देशांक

क्र. सं.	जीपीएस	देशान्तर	अक्षांश
1	ई 01	79° 15.931' पू	23° 43.366' उ
2	ई 02	79° 20.673' पू	23° 40.930' उ
3	ई 03	79° 22.504' पू	23° 38.155' उ

4	ई 04	79° 23.757' पू	23° 34.192' उ
5	ई 05	79° 22.000' पू	23° 30.831' उ
6	ई 06	79° 20.006' पू	23° 24.548' उ
7	ई 07	79° 22.065' पू	23° 22.205' उ
8	ई 08	79° 20.063' पू	23° 18.754' उ
9	ई 09	79° 19.990' पू	23°14.498' उ
10	ई 10	79° 19.762' पू	23° 11.194' उ
11	ई 11	79° 22.944' पू	23° 9.795' उ
12	ई 12	79° 20.803' पू	23° 6.824' उ
13	ई 13	79° 17.141' पू	23° 5.351' उ
14	ई 14	79° 12.153' पू	23° 6.190' उ
15	ई 15	79° 6.513' पू	23° 4.912' उ

उपाबंधIV

पारिस्थितिकी संवेदी जोन निगरानी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान

1. बैठकों की संख्या और तिथि ।
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश ।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th September, 2017

S.O. 3133(E).— WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification of the Government of the India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 1972(E), dated the 2nd June, 2016, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

WHEREAS, no objections and suggestions received from persons and stakeholders in response to the draft notification;

AND WHERAS, Nauradehi Wildlife Sanctuary situated in Sagar, Damoh and Narshingpur districts in the State of Madhya Pradesh and spread over an area of 1197.04 square kilo meters represents the floral and faunal attributes of the Central Indian forested landscape;

AND WHEREAS, the Nauradehi Wildlife Sanctuary is drained by two rivers namely Bamner and Bearma and the Nauradehi Wildlife Sanctuary is itself a water divide of two main river systems the Ganga and the Narmada and the Bamner and the Bearma drains the north and joins the Ken-Betwa rivers and the Rivulets that drain the southern part of Dongargaon range, flow south to join the Narmada;

AND WHEREAS, most parts of the Nauradehi Wildlife Sanctuary are more or less a plain area but in the southern part falling in Narshingpur district, the tract is hilly and most parts of the Nauradehi Wildlife Sanctuary have a savannah type of grassland with sparse trees and not much dense undergrowth;

AND WHEREAS, the Nauradehi Wildlife Sanctuary is rich in bio-diversity and classified in category "C6 Deccan Peninsula Central Highland Zone" as per Rogers and Pawar classification and the floral diversity include tree species (Teak, Saja, Arjun, Bhirria, Bel, Aonla etc,), herbs (*Alternendra* sp, *Andrograpis* sp, *Acheranthus* sp, *Amaranthus* sp, etc) and shrubs species (|*Lantana* sp, *Calotropis* sp,) climbers (*Cryptolepis buchanani*, *Butea superba*, *Combretum decandrum*, etc,) and grasses (*Andropogon* sps, *Chrisopogon* sps, *Hetreropogon* sps, *Cyanadon* sp, *Cenchrus* sps, etc,) and bamboo species(*Dendrocalamus strictus* and *Bambusa arundinacea*);

AND WHEREAS, the faunal bio-diversity consists of Panther, Sloth Bear, Wild dog, Hyena, Indian Wolf, Indian Fox and Jackal in Carnivores and Sambhar, Nilgai, Chinkara, Cheetal, Black buck (At the peripheries) and wild boar among herbivores, birds (Northern pin-tail, black stork, Wooly necked stork, Painted stork, Black ibis, etc,), fish(*Channa* sps, *Barbeo* sps *Daleo* sps, *Labeo* sps, etc,), reptiles (Marsh Crocodile, River terrapin, Blood guana, etc,) and various species of amphibians that have been recorded in the Nauradehi sanctuary;

AND WHEREAS, the Nauradehi Wildlife Sanctuary is surrounded by 71 villages and forests that come under South Sagar Division in the West and North, Damoh Division in the East and North and Narshingpur Division in the South and the National Highway-12 runs along the south of the Nauradehi Wildlife Sanctuary for about 23 kms .upto Bikrampur barrier in the East and surrounded by market hubs like Rehli, Deori and Garhakota (Sagar District), Damoh, Tendukheda and Taradehi (Damoh District) and Barman, Narshingpur (Narsinghpur District);

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of which are specified in paragraph 1 of this notification, around the Nauradehi Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone.

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section(1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area up to an extent of 250 meters from the boundary of the Nauradehi Wildlife Sanctuary as the Nauradehi Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (hereinafter referred to as the Eco-sensitive Zone), details of which are as under, namely:-

1. Extent and Boundaries of Eco-sensitive Zone.- (1) The Eco-sensitive Zone is spread over an area of 291.10 square kilometers with an average extent of one kilometer around the boundary of the Nauradehi Wildlife Sanctuary and the boundary description of said Eco-Zone is appended as **Annexure I**.

(2) The Eco-sensitive Zone is spread across 71 villages falling in Sagar, Damoh and Narshinghpur districts in the State of Madhya Pradesh.

(3) The list of villages falling within the Eco-sensitive Zone along with co-ordinates of prominent points is appended as **Annexure II.**

(4) The maps of the Eco-sensitive Zone along with latitudes and longitudes and boundary details are appended as **Annexure III A and III-B** respectively**.**

(5) The details of GPS coordinates of the points along the boundary of the Nauradehi Wilidlife Sanctuary and its Eco-sensitive Zone are appended as **Annexure-III C.**

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.-

(1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of Competent Authority in the State Government.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following State Departments, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-

(i) Environment;

(ii) Forest and Wildlife;

(iii) Agriculture & Horticulture;

(iv) Revenue;

(v) Urban Development;

(vi) Tourism including Eco-tourism;

(vii) Rural Development;

(viii) Irrigation and Flood Control;

(ix) Municipal & urban development;

(x) Panchayati Raj;

(xi) Public Works Department.

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded and degraded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies and also with supporting maps and the Plan shall be supported by Maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in the Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited, regulated activities listed in Table and also ensure and promote eco-friendly development for livelihood security of local communities.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. **Measures to be taken by State Government.-** The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

1. Landuse.- (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for major commercial or major residential complex or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under the relevant State laws and other rules and regulations of Central/State Government as applicable and vide provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents such as.-

(i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

(ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;

(iii) small scale industries not causing pollution;

(iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and

(v) promoted activities and given under para 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under the relevant State laws and other rules and regulations of State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat and biodiversity restoration activities.

(2) Natural water bodies.- The catchment areas of all natural springs,rivers, channels shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan.

(3) **Tourism/ Eco-tourism.-**

(a) All new Eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b)The Eco-tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The activities of Eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) No new construction of hotels and resorts shall be allowed within 1 km. from the boundary of the Wildlife Sanctuary or upto the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer and beyond the distance of 1 km. from the boundary of the Wildlife Sanctuary till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for Eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan.

(ii) All new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the Eco-tourism guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism.

(iii) Until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel /resort or commercial establishment construction is permitted within the Eco-sensitive Zone area.

(4) Natural Heritage.- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites.- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part Zonal Master Plan.

(6) Noise pollution.- Prevention and Control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with Noise Pollution (Regulation And Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986.

(7) Air pollution.- Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and rules made thereunder.

(8) Discharge of effluents.- Discharge of treated effluent in the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environmental (Protection) Act, 1986 and rules made thereunder or standards stipulated by State Government.

(9) Solid wastes.- Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-

(a) The solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016 and published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016; and

the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone.

(b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

(10) Bio-medical waste.- Bio medical waste management shall be as under:-

(a) The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide Notification number GSR 343 (E), dated the 28th March, 2016.

(b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Bio-medical wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-sensitive Zone.

(11) Plastic Waste Management.- The Plastic Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016.

(12) Construction and Demolition Waste Management.- The Construction and Demolition Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016.

(13) E-waste.- The E- Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change.

(14) Vehicular traffic.- The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) Vehicular Pollution.- Prevention and control of Vehicular Pollution shall be complied with in accordance with applicable laws and the efforts to be made for use of cleaner fuel for example CNG, LPG, etc.

(16) Industrial Units.- (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be allowed to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries shall be allowed within the Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the Guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification and in addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) Protection of Hill Slopes.- The protection of hill slopes shall be as under:-

(a) The Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted.

(b) No construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall be permitted.

(18) The Central Government and the State Government shall specify other additional measures, if it considers necessary, in giving effect to the provisions of this notification.

4. List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.-

All activities in the Eco -sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone notification 2011 and the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S. No	Activity	Description
		A. Prohibited Activities
1.	Commercial Mining.	(a) All new and existing (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for other activities. (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated 04.08.2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated 21.04.2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.

2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	No new industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall be permitted. Only non-polluting industries shall be allowed within Eco sensitive Zone as per classification of Industries in the Guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major hydroelectric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Setting of new saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
8.	Use of polythene bags.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
9.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
10.	New wood based industry.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws
11.	Fishing .	There shall be complete ban on fishing in all the water bodies.
B. Regulated Activities		
12.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometre of the boundary of the Protected Area or upto the extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for Eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometre from the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
13.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate, companies.	Regulated under applicable laws.
14.	Construction activities.	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one Kilometre from the boundary of the Protected Area or upto extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents such as: (i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads; (ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities; (iii) small scale industries not causing pollution termed as per Classification done by Central Pollution Control Board in February 2016; (iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stays; and (v) promoted activities listed in this Notification. (b) Provided that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (c) Beyond one kilometre it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
15.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of Industries issued by the Central Pollution Control Board in February 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
16.	Commercial Goat and sheep farming.	Regulated under applicable laws.
17.	Felling of Trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the

		State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
18.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
19.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures .	Regulated under applicable law. Underground cabling may be promoted.
20.	Infrastructure including civic amenities.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
21.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
22.	Under taking other activities related to tourism like over flying the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated under applicable law.
23.	Protection of Hill Slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
24.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
25.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming.	Permitted under applicable laws for use of locals.
26.	Discharge of treated waste water/effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water/effluents shall be avoided to enter into the water bodies. Efforts to be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water/effluent shall be regulated as per applicable laws.
27.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated under applicable law.
28.	Open Well, Bore Well etc. for agriculture or other usage.	Regulated and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.
29.	Solid Waste Management/Bio-medical Waste Management.	Regulated under applicable laws.
30.	Introduction of Exotic species.	Regulated under applicable laws.
31.	Eco-tourism.	Regulated under applicable laws.
32.	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
C. Promoted Activities		
33.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
34.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
35.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
36.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
37.	Use of renewable energy and fuels.	Bio gas, solar light etc. to be actively promoted.
38.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
39.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
40.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
41.	Restoration of Degraded Land, Forests,Habitat.	Shall be actively promoted.
42.	Environmental Awareness.	Shall be actively promoted.
43.	Nature Conservancy.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee:- In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, which shall comprise of, namely:-

(1)	Commissioner, Sagar	Chairman;
(2)	Chief Conservator of Forests, Sagar Circle	Member;
(3)	Collectors-Sagar, Damoh and Narshingpur,	Member;
(4)	Divisional Forest Officer/Conservator of Forests-Territorial Divisions South Sagar, Damoh and Narshingpu,	Member;
(5)	Chief Executive Officer-Zilla Panchayat Sagar, Damoh and Narshingpur	Member;
(6)	Executive Engineer- Public Works department, Sagar, Damoh and Narshingpur	Member;
(7)	One representative of NGO working in the field of environment to be nominated by the State government for a period of three years	Member;
(8)	An expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of Madhya Pradesh for a period of three years	Member;
(9)	Executive Engineer- Public Health Engineering, Sagar, Damoh and Narshingpur	Member;
(10)	Mining Officers- Sagar, Damoh and Narshingpur	Member;
(11)	Executive Engineer-Irrigation, Sagar, Damoh and Narshingpur,	Member;
(12)	An expert in the area of Biodiversity to be nominated by the State Govt.	Member;
(13)	Divisional Forest Officer, Nauradehi Wildlife Division, Sagar	Member Secretary.

6. Terms of Reference:-

(1) The tenure of the monitoring committee shall be three years or till the constitution of the new committee by the State Govt.

(2) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this Notification.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.

(5) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector(s) or the concerned park Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State as per pro forma appended at **Annexure IV**.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F. No. 25/72/2015-ESZ]

LALIT KAPUR, Scientist 'G'

ANNEXURE-I

BOUNDARY DETAILS OF NAURADEHI WILDLIFE SANCTUARY AND ITS ECO-SENSITIVE ZONE

Geographical Coordinates of the Nauradehi (Wild Life) Sanctuary

Direction	Co-ordinates	
	Longitude	Latitude
North (A)	79°16'25.793"E	23°42'23.821"N
East (B)	79°24'43.153"E	23°34'28.537N"
South (C)	79°06'47.153"E	23°05'18.398"N
West (D)	79°03'8.957"	23°12'11.643"N

Geographical Coordinates of Eco-sensitive Zone of the Nauradehi Sanctuary

Direction	Co-ordinates	
	Longitude	Latitude
North (A1)	79°16'26.497"E	23°42'56.295"N
East (B1)	79°25'17.149"E	23°34'29.680"N
South (C1)	79°06'47.200"E	23° 4'45.952"N
West (D1)	79° 2'34.103"E	23°12'11.553"N

Land use in the Eco-sensitive Zone of the Nauradehi Sanctuary

Width of ESZ	Avg. 1.00 Km
Area of the ESZ	291.10 Sq Km
Area of the ESZ included - RF	48.97 Sq Km
Area of the ESZ included - PF	47.05 Sq Km
Area of the ESZ included - Revenue	195.08 Sq Km

ANNEXURE-II

LIST OF VILLAGES WITH GEOGRAPHICAL COORDINATES WITHIN THE NAURADEHI ECO-SENSITIVE ZONE

Sl. No.	Name of Division	Name of Village	District	Longitude	Latitude
1	Nauradehi	Khajiriya	Sagar	79°21'12.66"E	23°40'44.46"N
2	Nauradehi	Berkheri	Sagar	79°16'34.41"E	23°42'44.71"N
3	Nauradehi	Mahuasemra	Sagar	79°14'54.72"E	23°41'7.80"N
4	Nauradehi	Talsemra	Sagar	79°14'27.65"E	23°40'35.14"N
5	Nauradehi	Latel	Sagar	79°13'52.77"E	23°39'58.78"N
6	Nauradehi	Baleh	Sagar	79°13'4.77"E	23°38'38.22"N
7	Nauradehi	Salra	Sagar	79°13'18.67"E	23°37'56.85"N
8	Nauradehi	Gudakhurd	Sagar	79°11'47.58"E	23°37'19.93"N
9	Nauradehi	Gudakalan	Sagar	79°11'17.51"E	23°37'53.04"N
10	Nauradehi	Gopalpura	Sagar	79°10'37.07"E	23°37'21.43"N
11	Nauradehi	Bagaspura	Sagar	79° 9'44.13"E	23°36'25.08"N
12	Nauradehi	Chhirari	Sagar	79° 8'46.41"E	23°35'2.41"N
13	Nauradehi	Hinoti	Sagar	79°10'55.36"E	23°33'36.93"N
14	Nauradehi	Hardua	Sagar	79°10'16.39"E	23°33'16.44"N
15	Nauradehi	Benhari	Sagar	79° 9'13.08"E	23°33'36.32"N
16	Nauradehi	Changuwan	Sagar	79° 9'44.65"E	23°33'5.27"N
17	Nauradehi	Simariya	Sagar	79° 9'11.33"E	23°32'19.31"N

18	Nauradehi	Sarkheda	Sagar	79° 7'54.86"E	23°31'24.29"N
19	Nauradehi	Duhariya Mohli	Sagar	79° 7'47.56"E	23°30'34.27"N
20	Nauradehi	Mokla	Sagar	79° 5'30.41"E	23°28'59.12"N
21	Nauradehi	Kusmi	Sagar	79° 5'49.74"E	23°27'0.51"N
22	Nauradehi	Suna	Sagar	79° 7'8.47"E	23°27'54.25"N
23	Nauradehi	Neguwan	Sagar	79° 8'19.91"E	23°29'43.91"N
24	Nauradehi	Kathotiya	Sagar	79° 8'9.81"E	23°27'52.69"N
25	Nauradehi	Harduli	Sagar	79° 6'6.34"E	23°16'53.67"N
26	Nauradehi	Jamuniya	Sagar	79° 4'33.41"E	23°15'17.49"N
27	Nauradehi	Majhguwan	Sagar	79° 4'9.13"E	23°14'41.07"N
28	Nauradehi	Khanpur	Sagar	79° 3'23.88"E	23°13'44.17"N
29	Nauradehi	Sarra	Sagar	79° 6'30.90"E	23°18'38.95"N
30	Nauradehi	Beena	Sagar	79° 5'26.67"E	23°21'52.22"N
31	Nauradehi	Ishwarpur	Sagar	79° 6'28.66"E	23°21'8.77"N
32	Nauradehi	Purena	Sagar	79° 5'48.19"E	23°19'25.84"N
33	Nauradehi	Sarra Dalpat	Sagar	79° 5'33.41"E	23°18'44.08"N
34	Nauradehi	Kurhaya	Sagar	79° 6'8.96"E	23°18'10.62"N
35	Nauradehi	Chirai	Damoh	79°22'33.10"E	23°38'42.65"N
36	Nauradehi	Mankagaon	Damoh	79°21'56.57"E	23°37'4.65"N
37	Nauradehi	Hinoti	Damoh	79°19'30.81"E	23°35'22.10"N
38	Nauradehi	Murai	Damoh	79°20'15.44"E	23°34'28.28"N
39	Nauradehi	Amtikalan	Damoh	79°20'6.53"E	23°33'47.30"N
40	Nauradehi	Khagar	Damoh	79°21'34.87"E	23°36'35.58"N
41	Nauradehi	Maujakalan	Damoh	79°21'6.19"E	23°35'44.13"N
42	Nauradehi	Suhela	Damoh	79°22'54.05"E	23°34'41.98"N
43	Nauradehi	Jamuniya	Damoh	79°24'29.74"E	23°35'6.12"N
44	Nauradehi	Somkheda	Damoh	79°24'15.68"E	23°34'4.79"N
45	Nauradehi	Duhli	Damoh	79°22'0.99"E	23°31'19.30"N
46	Nauradehi	Guari	Damoh	79°21'59.72"E	23°31'28.68"N
47	Nauradehi	Sooradehi	Damoh	79°22'9.97"E	23°30'50.62"N
48	Nauradehi	Mgabiher	Damoh	79°22'5.71"E	23°30'34.03"N
49	Nauradehi	Nayakheda	Damoh	79°22'12.41"E	23°30'22.03"N
50	Nauradehi	Jhapan	Damoh	79°22'17.34"E	23°30'9.41"N
51	Nauradehi	Sihri	Damoh	79°21'47.23"E	23°27'20.99"N
52	Nauradehi	Dhana	Damoh	79°19'43.62"E	23°25'36.86"N
53	Nauradehi	Cheema Dhana	Damoh	79°20'24.18"E	23°25'36.94"N
54	Nauradehi	Chikhli	Damoh	79°19'51.78"E	23°19'44.88"N
55	Nauradehi	Bansi	Damoh	79°20'21.43"E	23°19'37.27"N
56	Nauradehi	Pidrai	Damoh	79°19'56.58"E	23°18'57.17"N
57	Nauradehi	Kopadeori	Damoh	79°20'33.73"E	23°17'46.88"N
58	Nauradehi	Taradehi	Damoh	79°20'57.92"E	23°17'18.42"N
59	Nauradehi	Jhamara	Damoh	79°19'20.02"E	23°15'13.12"N
60	Nauradehi	Pipla	Damoh	79°18'48.89"E	23°16'50.68"N
61	Nauradehi	Khantara	Damoh	79°18'38.85"E	23°17'41.53"N
62	Nauradehi	Sarasbagli	Damoh	79°19'23.52"E	23°16'1.93"N
63	Nauradehi	Chorkhamariya	Damoh	79°19'39.43"E	23°16'29.97"N
64	Nauradehi	Sarratuda	Damoh	79°19'10.88"E	23°16'0.39"N
65	Nauradehi	Kotkheda	Damoh	79°19'14.07"E	23°15'13.19"N

66	Nauradehi	Kosamda	Damoh	79°18'57.07"E	23°14'26.60"N
67	Nauradehi	Ramkhiriya	Narsingpur	79° 9'49.02"E	23° 5'47.79"N
68	Nauradehi	Bandroha	Narsingpur	79°20'9.62"E	23° 6'35.24"N
69	Nauradehi	Khapa	Narsingpur	79°20'34.70"E	23° 7'26.86"N
70	Nauradehi	Matapur	Narsingpur	79°21'13.15"E	23° 7'9.98"N
71	Nauradehi	Vikrampur	Narsingpur	79°21'41.17"E	23° 8'58.67"N

ANNEXURE-III A

Map of Eco-sensitive Zone of Nauradehl Sanctuary

Eco Sensitive Zone Map-NAURADEHI

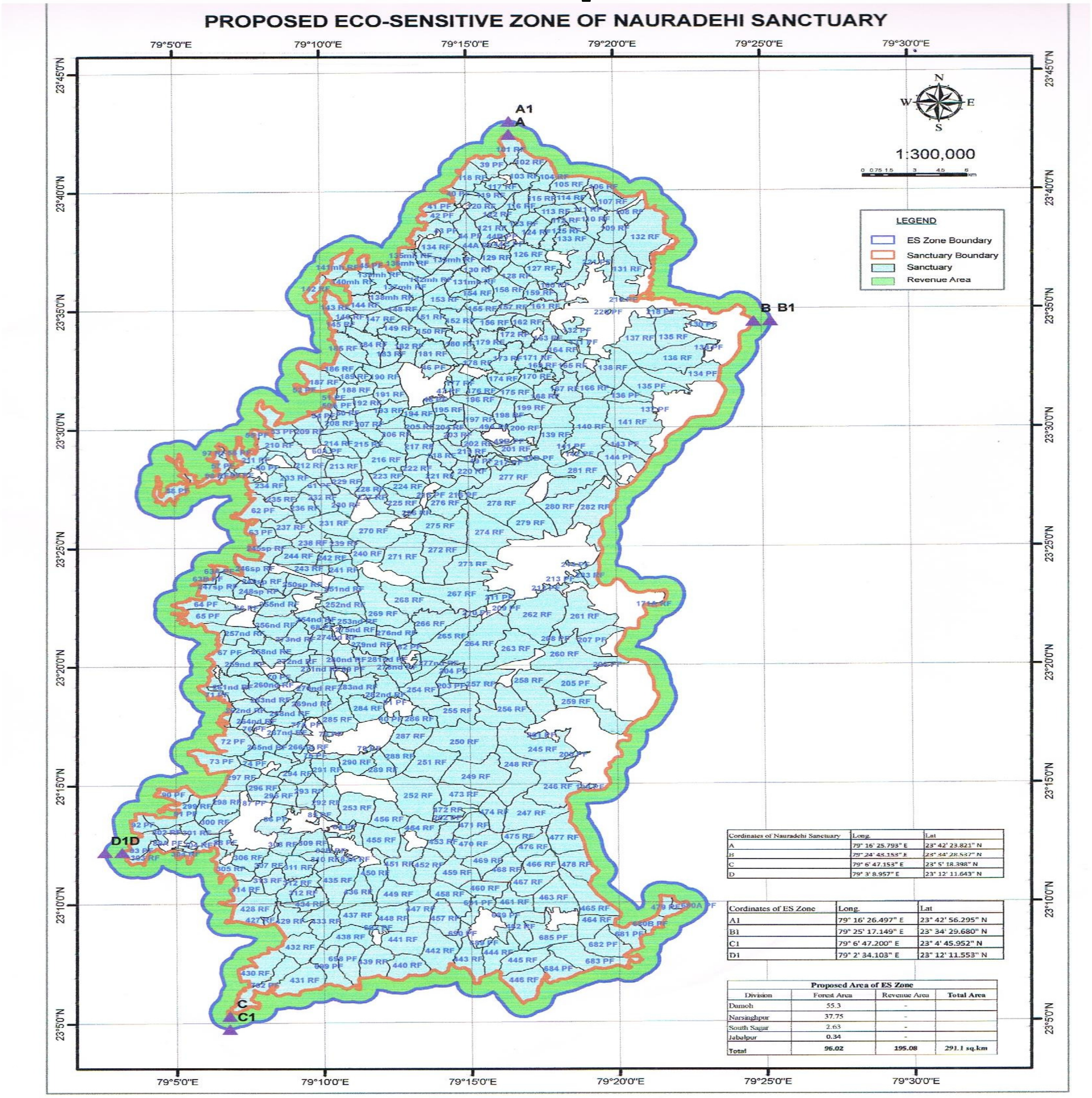

ANNEXURE-III B

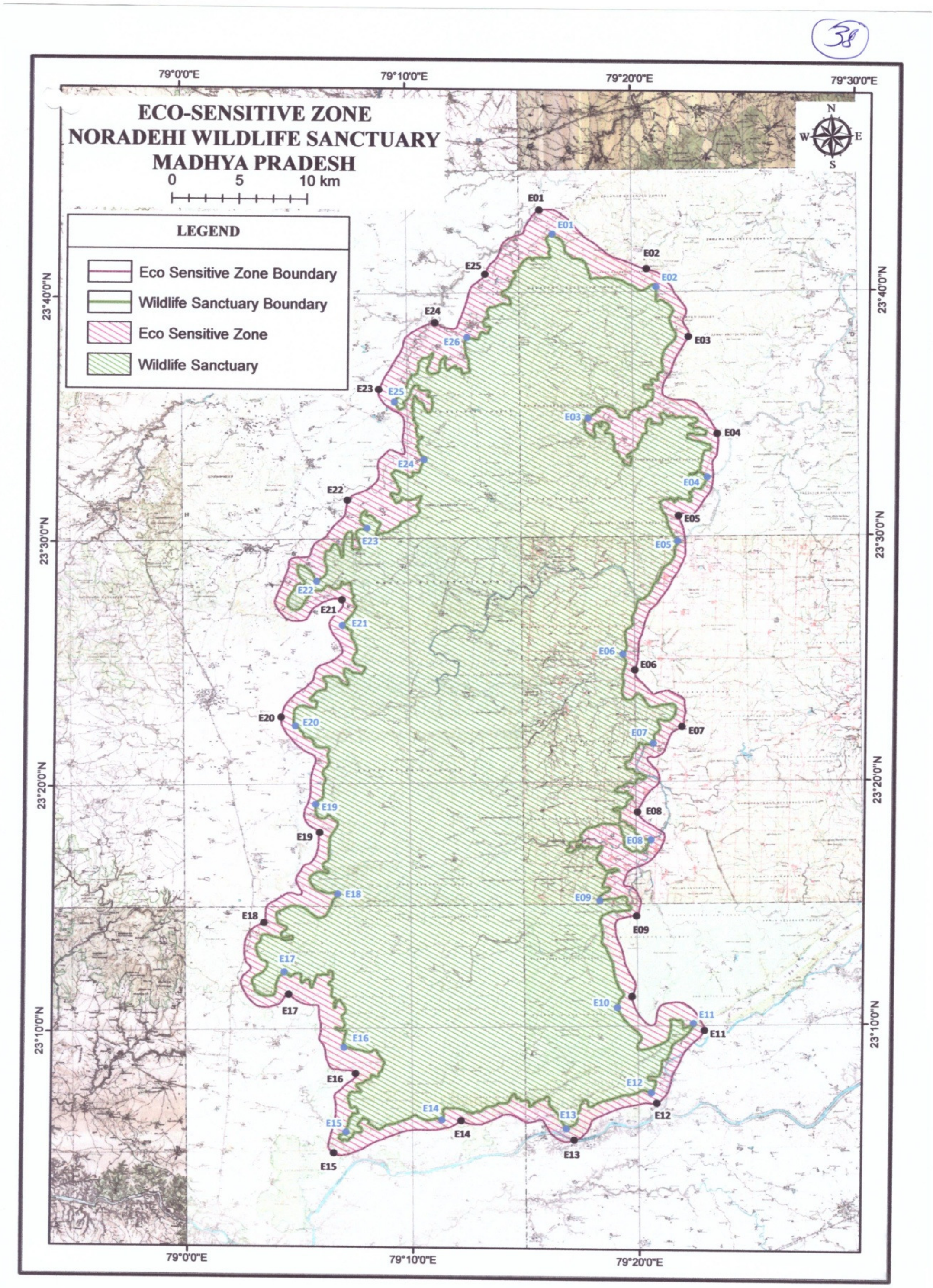

ANNEXURE-III C

GPS COORDINATES OF POINTS ALONG THE BOUNDARY OF NAURADEHI WILDLIFE SANCTUARY AND ITS ECO-SENSITIVE ZONE

GPS co-ordinates of points along the boundary of Nauradehi Wildlife Sanctuary

Sl. No.	GPS	Longitude	Latitude
1	E01	79° 16.500' E	23° 42.388' N
2	E02	79° 21.088' E	23° 40.204' N
3	E03	79° 18.013' E	23° 34.866' N
4	E04	79° 23.292' E	23° 32.406' N
5	E05	79° 21.949' E	23° 29.802' N
6	E06	79° 19.467' E	23° 25.207' N
7	E07	79° 20.789' E	23° 21.553' N
8	E08	79° 20.643' E	23° 17.606' N
9	E09	79° 18.365' E	23° 15.137' N
10	E10	79° 19.090' E	23° 10.759' N
11	E11	79° 22.446' E	23° 10.076' N
12	E12	79° 20.571' E	23° 7.251' N
13	E13	79° 16.797' E	23° 5.822' N
14	E14	79° 11.305' E	23° 6.231' N
15	E15	79° 7.061' E	23° 5.773' N
16	E16	79° 6.999' E	23° 9.226' N
17	E17	79° 4.375' E	23° 12.324' N
18	E18	79° 6.767' E	23° 15.489' N
19	E19	79° 5.825' E	23° 19.172' N
20	E20	79° 4.940' E	23° 22.377' N
21	E21	79° 7.064' E	23° 26.747' N
22	E22	79° 5.945' E	23° 28.291' N
23	E23	79° 8.172' E	23° 30.433' N
24	E24	79° 10.730' E	23° 33.224' N
25	E25	79° 9.451' E	23° 35.585' N
26	E26	79° 12.681' E	23° 38.197' N

GPS co-ordinates of points along the boundary of Eco-sensitive Zone Nauradehi Wildlife Sanctuary

Sl. No.	GPS	Longitude	Latitude
1	E01	79° 15.931' E	23° 43.366' N
2	E02	79° 20.673' E	23° 40.930' N
3	E03	79° 22.504' E	23° 38.155' N
4	E04	79° 23.757' E	23° 34.192' N
5	E05	79° 22.000' E	23° 30.831' N
6	E06	79° 20.006' E	23° 24.548' N
7	E07	79° 22.065' E	23° 22.205' N
8	E08	79° 20.063' E	23° 18.754' N
9	E09	79° 19.990' E	23°14.498' N
10	E10	79° 19.762' E	23° 11.194' N
11	E11	79° 22.944' E	23° 9.795' N
12	E12	79° 20.803' E	23° 6.824' N
13	E13	79° 17.141' E	23° 5.351' N
14	E14	79° 12.153' E	23° 6.190' N
15	E15	79° 6.513' E	23° 4.912' N

Annexure IV

Proforma of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and date of Meetings:
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attached Minutes of the meeting on separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal master Plan including Tourism master Plan:
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record: Details may be attached as Annexure
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006:Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of case scrutinised for activities not covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006: Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints lodged under Section 19 of Environment (Protection) Act, 1986:
8. Any other matter of importance:

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2017.10.04 22:50:05 +05'30'